

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर- 2025/119

1. रेशमा पत्नि सुरेश, जाति स्वामी, निवासी ग्राम लाडुन्दा, उपतहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं।

- अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, झुन्झुनूं।
2. नायब तहसीलदार पिलानी, जिला झुन्झुनूं।

-रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 11.12.2024 अपील संख्या 138/2024 उनवानी रेशमा बनाम राजस्थान सरकार व नायब तहसीलदार पिलानी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 20.06.2023 प्रकरण संख्या 65/2023 में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :-

1. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक-23.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 एवं नायब तहसीलदार पिलानी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 20.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 28.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पिलानी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 20.06.2023 द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध संवत 2080 में वाके ग्राम लाडुन्दा की आराजी खसरा नम्बर 395 के कुल रकबा 5.82 है० किस्म गै० मु० जोहड़ में से रकबा 0.0030 है० भूमि पर अतिक्रमी द्वारा मकान की चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैन्ल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. नायब तहसीलदार पिलानी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 20.06.2023 तथा जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार पिलानी, जिला झुन्झुनूं दिनांक 20.06.2023 तथा जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2024 व नायब तहसीलदार, उप तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2023 रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार किये बिना तथा बिना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की पालना किये पारित किये गये हैं, जो कि काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, उप तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनूं द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एक पक्षीय आदेश दिनांक 20.06.2023 को पारित किया गया जबकि किसी भी विवाद के निस्तारण हेतु विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं नायब तहसीलदार, उप तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू ने उक्त आदेश व निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करना प्रासांगिक होगा कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर लगभग 30 वर्षों से पक्का निर्माण कराकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है तथा उक्त भूमि का उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। यहां तक कि अपीलार्थी उक्त प्लॉट पर बिजली का कनेक्शन भी ले रखा हैं। अपीलार्थी गरीब व्यक्ति हैं, जो मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा हैं तथा उक्त भूमि के अलावा अपीलार्थी के पास अन्य कोई भूमि नहीं हैं, जिसका वह उपयोग-उपभोग कर सके, यदि अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थी को अपने परिवार सहित सड़क पर रहने को मजबूर हो जावेगा तथा जिसके भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति का भूमि पर विधिक कब्जा हैं तथा उक्त भूमि पर अपने नाम से बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो उसे भूमि का अतिचारी नहीं माना जा सकता बल्कि भूमि का स्वामी माना जाता है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू व नायब तहसीलदार, तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश व निर्णय को अपास्त फरमाया जावे। अपीलार्थी मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा अपीलार्थी को अपीलीय आदेश की जानकारी होने के पश्चात् न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू के समक्ष नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल अपीलार्थी को प्राप्त होने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया जिसके उपरान्त उन्होंने जो खर्चा बताया उसका इन्तजाम कर अपने अधिवक्ता से मिला एवं उनकी सलाह के अनुसार जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील अपीलान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 व नायब तहसीलदार, उप तहसील पिलानी, जिला झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा रेस्पोजेन्ट्स को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 0.0030 हैक्टेयर से बेदखल नहीं करे, ना ही उक्त भूमि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित करें।

6. रेस्पोजेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्त द्वारा संवत 2080 में वाके ग्राम लाडुन्दा की आराजी खसरा नम्बर 395 के कुल रकबा 5.82 है० किस्म गै० मु० जोहड़ में से रकबा 0.0030 है० भूमि पर अतिक्रमी द्वारा मकान की चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 20.06.2023 को 50 गुणा पैन्ल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने अपीलान्त की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2024 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त समायीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के पश्चात् नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नकल प्राप्त किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रुख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रुख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पिलानी की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 11.05.2023 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत् 2080 में वाके ग्राम लाडुन्दा की आराजी खसरा नम्बर 395 के कुल रकबा 5.82 है० किस्म गै० मु० जोहड़ में से रकबा 0.0030 है० भूमि पर अतिक्रमी द्वारा मकान की चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पिलानी, जिला झुंझुनूं द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 20.06.2023 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 में यह माना है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै०मु० जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील संख्या 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL No. 1132/2011/SLP (C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition(Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। ऐसे में गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि पर मकान की चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै० मु० जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गै० मु० जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पिलानी जिला झुंझुनूं द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2023 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनूं का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पिलानी जिला झुंझुनूं द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.06.2023 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछबाहा)

अति० संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त जयपुरीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर